अधिहरण वाद संख्या-117/2018-2019

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री मोहन मंडल, पे0-संजोग मंडल
सा0-वार्ड नं0-12,विश्वम्भर, पटी,
थाना-हथौड़ी,जिला-मुजफ्फरपुर

(2) श्री राजू कुमार, पे0-स्व0 विन्दा राय
सा0-वार्ड नं0-13, जगन्नाथपुर,
थाना-हथौड़ी, जिला-मुजफ्फरपुर

(3) श्री दिलीप राय, पे0-रामशक्कल राय
सा0-वार्ड नं0-11, विश्वम्भर पट्टी,
थाना-हथौड़ी, जिला-मुजफ्फरपुर
जिला-कटिहार .... विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 538/30,दिनांक 01.12.2018) के आलोक में अवर निरीक्षक उत्पाद, अररिया द्वारा प्रस्ताव दिनांक-30.11.2018 को संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध किया है कि अवर निरीक्षक उत्पाद अररिया कांड संख्या-18/2018, SPL. Case No-1200/2018 में जब्त टाटा इंडिका वाहन निबंधन संख्या-DL-3CW-9924, को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। अवर निरीक्षक उत्पाद अररिया कांड संख्या-18/2018, SPL. Case No-1200/2018 के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त-1. मोहन मंडल, पे0-संजोग मंडल, सा0-वार्ड नं0-12,विश्वम्भर, पटी, थाना- हथौड़ी, जिला-मुजफ्फरपुर 2. राजू कुमार, पे0-स्व0 विन्दा राय, सा0-वार्ड नं0-13, जगन्नाथपुर, थाना-हथौड़ी, जिला-मुजफ्फरपुर 3. दिलीप राय, पे0-रामशक्कल राय, सा0-वार्ड नं0-11, विश्वम्भर पट्टी, थाना-हथौड़ी, जिला-मुजफ्फरपुर, जिला-कटिहार के विरूद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रुचि नहीं है। फलस्वरुप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि अवर निरीक्षक उत्पाद, अररिया ने गुप्त सूचना के आधार पर अधीनस्थ उत्पाद कर्मी एवं सैप बल के साथ विभागीय वाहन पर सवार होकर दिनांक-06.10.2018 को प्रातः 6.30 बजे पूर्वाहन में अररिया उत्पाद विभाग से अररिया जोकीहाट पथ पर गश्ती/वाहन चेकिंग के लिए प्रस्थान किया। पनार पुल के पास पहुँचकर वाहन जाँच प्रारम्भ किया। जाँच के कम में ओशन ग्रीन कलर की चार पहिया वाहन को रुकने का ईशारा किया गया। जवानों की सहायता से वाहन को सड़क किनारे किया गया। संदेह के आधार पर वाहन के सीट व दरवाजे को ठोकने पर असामान्य आवाजों के आधार पर उपस्थित गवाहों 1. विकेन्द्र उर्फ विक्की, पे0-रजानंद राय, वार्ड-08, ओमनगर, थाना-अररिया, जिला-अररिया 2. मो0 असलम, पे0-मो0 कलीमुद्दीन, सा0-हरबा, थाना-जोकीहाट, जिला-अररिया के समक्ष सीट गेट डेस्क आदि को खोलने पर 375.00 एम0एल0 का 170 बोतल कुल-63.750 ली0 रॉयल स्टेज नामक विदेशी शराब एवं 500.00 एम0एल0 का 71 केन कुल-35.50 ली0 किक नामक बीयर बरामद हुआ। गवाहों के समक्ष बरामद शराब एवं वाहन को जब्ती सूची तैयार कर	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	विधिवत जब्त किया गया तथा आपको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वि0) अररिया के न्यायालय में आपके विरूद्ध अभियोग दर्ज करते हुए अभियोग संख्या-Special Case No.-1200/18 दर्ज की गई।	

बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप आपके विरूद्ध अवर निरीक्षक उत्पाद अररिया कांड संख्या-18/2018, SPL. Case No-1200/2018 दर्ज किया गया तथा आपको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त टाटा इंडिका वाहन निबंधन संख्या-DL-3CW-9924 से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त टाटा इंडिका वाहन निबंधन संख्या-DL-3CW-9924 राजसात होने योग्य है। जब्त टाटा इंडिका वाहन को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त टाटा इंडिका वाहन का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त टाटा इंडिका वाहन बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तद्नुसार अवर निरीक्षक उत्पाद, अररिया कांड संख्या-18/2018, SPL. Case No- 1200/2018 में जब्त टाटा इंडिका वाहन निबंधन संख्या-DL-3CW-9924 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात** किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1098/विधि, अररिया, दिनांक 31.5/2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी न्यायालय, अररिया (बिहार)

समाहर्त्ता, अररिया

31.05.2019